देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/IRTR/01

E-Newsletter, Issued in Public Interest

मंगलवार, 7 जनवरी 2020

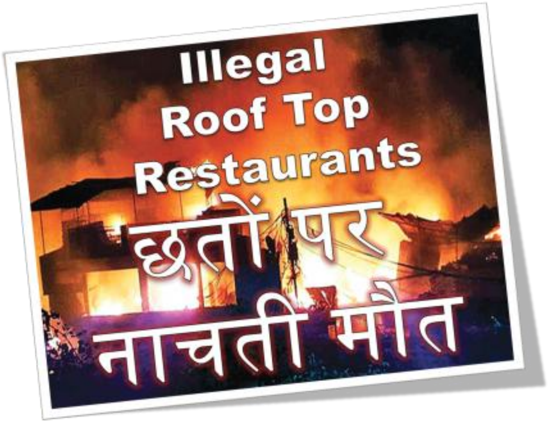

कार्यवाही का असर

आबकारी विभाग,जयपुर शहर ने दिए 363 होटल/रेस्टोरेंट संचालकों को फायर NOC प्रस्तुत करने के नोटिस

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,

"आबकारी भवन", 2 गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर (राजस्थान) 313 001

दूरभाष नम्बर 0294–2527086 EXT 137 Email: procure.hq.excise@rajasthan.gov.in

क्रमांक प 32 (बी) (114) आब/एल/90 पार्ट–III/ 362 दिनांक 17.12.2019

जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर।

विषय :– Legal notice to take immediate action against illegal Roof Top Restaurants operating in the city of jaipur without appropriate Fire Safety Equipment, without complying with NBS Code & Building Laws and without proper fire Safety exits etc.

उपरोक्त विषयान्तर्गत J & G Advocates, Jaipur द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय व उच्चाधिकारियों के साथ, इस कार्यालय को तथा इसके क्रम संख्या–13 पर आपको भी संबोधित नोटिस की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि इसमें वर्णित इकाईयों में से ऐसी इकाईयां जिनको विभाग द्वारा कोई रिटेल ऑन अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो, जो स्थानीय निकाय के संबंधित अग्नि शमन अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान में नवीनीकृत फायर एन.ओ.सी. के बिना एवं भवन नियमों के विपरीत निर्मित होकर संचालित हो, ऐसी समस्त इकाईयों की आबकारी एवं सुरक्षा नियमों के परिप्रेक्ष्य मे जांच कराते हुए, इन वर्णित इकाईयों में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है अथवा नहीं ? के संबंध में इकाईवार सूचना, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन जयपुर के माध्यम से मुख्यालय को शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

सूचना एवं अधिकार
के पेटे प्रमाणित

सहायक आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर

(सी. आर. देवासी)
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त,
(नीति) राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प. 32 (बी) (114) आब/एल/90 पार्ट–III/ 362 दिनांक 17-12-2019

प्रतिलिपि अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के संदर्भ में वांछित रिपोर्ट मुख्यालय को शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त,
(नीति) राजस्थान, उदयपुर

शहर में बिना फायर NOC चल रहे रूफ टॉप रेस्टोरेंट पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने/कार्यवाही करने हेतु हमारी पहल पर,युवा अधिवक्ता श्री आदित्य जैन और नेहा ग्यामलानी की फर्म **J&G Advocates** द्वारा मुख्य सचिव सहित अनेक पक्षों को कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिए गए थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग जयपुर शहर द्वारा शहर में संचालित 363 होटल्स/रेस्टोरेंट्स को 10 जनवरी तक फायर NOC प्रस्तुत करने के नोटिस जारी किये है देखना यह है कि क्या आबकारी विभाग इन नोटिसों की पालना नहीं करने वाले होटल्स/रेस्टोरेंट्स का लाईसेंस निरस्त करती है या यह भी फाईलों में बंद होकर रह जायेंगे?

2.	शहर में आपके विभाग द्वारा लाईसेंस प्राप्त टॉप रेस्टोरेन्ट (बिना फायर NOC, सुरक्षा मानदण्डों के चल रहे) के संबंध में आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही से अवगत करवाते हुए संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	इस कार्यालय द्वारा बिना फायर NOC, सुरक्षा मानदण्डों के चल रहे होटल बार/रेस्टोबार/क्लब बार अनुज्ञाधारियों के 363/– नोटिस जारी किये गये है। 363 X 2 = 726/– रूपये

इस प्रकार के 363 नोटिस आबकारी विभाग जयपुर शहर द्वारा जारी किये गए है|

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर

क्रमांक :– ए.हो./रेस्टो बार/आब/19/ 11917 दिनांक 20.12.2019

मैसर्स ~~Hotel~~ Swagatam (RTDC)

Near Railway Station, Jaipur

द्वारा: आबकारी निरीक्षक, वृत्त जयपुर शहर —— झोटवाडा।

विषय: फायर एनओसी उपलब्ध करवाने बाबत।
प्रसंग: प्रधान कार्यालय का पत्रांक: प.32(बी)(359)आब/एल/71-VII/181 दिनांक: 5.9.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विभाग द्वारा होटल/क्लब/रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्र जारी किया हुआ है। अतः प्रधान कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्देश है कि आपकी इकाई को संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा जारी वैद्य "अग्निशमन प्रमाण पत्र" (No Objection Certificate) की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को संबंधित वृत्त आबकारी निरीक्षक के माध्यम से दिनांक 10 जनवरी 2020 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा निर्धारित अवधि में मान्य "अग्निशमन प्रमाण पत्र" (No Objection Certificate) प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपकी इकाई के बार संचालन को बंद करने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः सूचित रहें व निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(सुनील भाटी)
जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर

सूचना एवं अधिकार
के पेटे प्रमाणित

सहायक आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर